कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ म0प्र0

क्रमांक - 01 /2025 टीकमगढ दिनांक 15 /07/2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायिक स्थापना टीकमगढ के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहनों की निम्न सारणी अनुसार विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है :-

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	शासकीय वाहन विवरण	वाहन का मॉडल वर्ष	वाहन का अपसेट प्राईज
1	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवाडी (वरिष्ठतम न्यायाधीश)	MP02 AV 2790 Tata Indigo GLX	NOV. 2009	68000/-
2	विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) टीकमगढ	MP02 HC 0226 Tata Indigo Manza	2011	62000/-

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति उपरोक्त सारणी मे वर्णित शासकीय वाहनो को क्रय करना चाहता है वह दिनांक **19.08.2025** को जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ म0प्र0 में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है, नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर नजारत अनुभाग जिला न्यायालय टीकमगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर किया जा सकता है।

नीलामी/विक्रय की शर्तें

1- उपरोक्त सारणी में वर्णित अनुपयोगी शासकीय वाहनों का अपलेखन मूल्य निर्धारित है।

2- वाहनों की विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक **19.08.2025** से एक दिन पहले तक देखे जा सकते हैं। वाहन जिस स्थिति मे है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जायेगा।

3- वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाडा आदि देय नहीं होगा।

4- नीलामी /विक्रय कार्यवाही में भाग लेने के पूर्व नीलामीकर्ता/न्यायालय कर्मचारी जिला नाजिर/नायब नाजिर/सैल अमीन जिला न्यायालय टीकमगढ के पास बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज एवं स्वयं की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

5- बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर नीलामी बोली की संपूर्ण राशि का नियमानुसार ऑनलाईन ई-चालान के माध्यम से शासन के हित में राशि जमा करना होगी। यदि उक्त दिनांक समय को तकनीकी त्रुटिवश ऑनलाईन ई-चालान के माध्यम से शासन के हित मे राशि जमा नहीं हो पाती है तो आगामी कार्य दिवस में ऑनलाईन ई-चालान के माध्यम से शासन के हित में राशि जमा कराना होगा। जमा ऑनलाईन ई-चालान की स्वहस्तारित प्रति नजारत अनुभाग जिला न्यायालय टीकमगढ में जमा कर विक्रयसुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।

6- बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

7- वाहन नीलामी के संबंध मे विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेत गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी गठित नीलामी समिति जिला न्यायालय टीकमगढ विक्रय की शर्तों के बदलाव में आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकारी होगा।

8- नीलामी/विक्रयशुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र नीलामी समिति जिला न्यायालय टीकमगढ द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ से ले जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

9- नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार है।

10- सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका संपूर्ण व्यय भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय टीकमगढ़ का होगा।

11- क्रयकर्ता वाहन प्राप्त करने के पूर्व वाहन की वर्तमान नंबर प्लेट नजारत अनुभाग जिला न्यायालय टीकमगढ़ में जमा की जावेगी।

12- उक्त विज्ञिप्ति का अवलोकन जिला न्यायालय टीकमगढ की वेवसाईट https://tikamgarh.dcourts.govt.in पर किया जा सकेगा।

13- उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के बेबसाईट district.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
टीकमगढ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक 1(V) /2025 टीकमगढ दिनांक 15 /07/2025

प्रतिलिपि :-

01. जिला जनसंपर्क अधिकारी, टीकमगढ़ की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलामी विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

02. कार्यालय कलेक्टर/नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सूचना समस्त सार्वजनिक स्थानों के सूचना-पटल पर चस्पा करवाये जाने हेत प्रेषित।

03. नायब नाजिर/सैल अमीन, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय टीकमगढ़ की ओर प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय भवन के मुख्य सूचना-पटल पर, प्रवेश द्वार पर एवं जिलाधीश कार्यालय टीकमगढ़ एवं नगर पालिका टीकमगढ़ के मुख्य सूचना-पटल पर बस स्टेण्ट रेल्वे स्टेशन टीकमगढ मे नीलामी विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

04. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहनों की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

05. निज सहायक, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
टीकमगढ म0प्र0